नजरिया

''दस्ते वहशत में कभी, दस्ते रफुगर में कभी,
बस तो एक खेल हुआ मेरा गरेबा न हुआ।''

मुंबई बम धमाकों के बाद से एक बार फिर भारतीय मुसलमान निशाने पर हैं। दाढ़ी रखे और टोपी, कुर्ता पहने किसी भी मुसलमान को संदिग्ध मानकर कहीं भी रोककर पूछताछ की जा सकती है, उसे पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में रखा जा सकता है और उससे राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। दूसरी ओर हमारे बुद्धिजीवी लगातार भारतीय मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसकी सलाह देने लगते हैं और एक नया शब्द गढ़ा गया है इस्लामी आतंकवाद और बताया जा रहा है कि भारत इस्लामी आतंकवाद के निशाने पर है।

मेरी नजर में आतंकवाद, आतंकवाद होता है और उसका हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख या इसाई होने से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म आतंकवाद और हिंसा करने की शिक्षा नहीं देता। जहां तक इस्लाम का सवाल है तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुरान में लिखा गया है ''धरती पर दंगा फसाद न फैलाओ क्योंकि अल्लाह शर पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता और उसके लिए सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है।'' साथ ही कुरान में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा गया है कि ''जिस किसी व्यक्ति ने किसी बेगुनाह का खून किया तो मानो पूरी मानवता की हत्या की और

अगर किसी व्यक्ति ने किसी बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो मानो पूरी मानवता को बचाया।'' (अल–कुरान)

कुरान की इस व्याख्या के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग जेहाद या इस्लाम के नाम पर बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं वे इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते और मेरी राय में तो वे मुसलमान कहलाए जाने के अधिकारी भी नहीं है।

जहां तक भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का सवाल है तो ये स्पष्ट है कि उसके कारण राजनीतिक हैं न कि धार्मिक और ये सबको मालूम है कि उसके पीछे पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। अपने इन नापाक इरादों में वह न केवल भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल करता है बल्कि उसमें हिंदूओं और देश के कुछ दूसरे नागरिकों की संख्या भी कम नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो क्या वह आतंकवादी घटना नहीं थी और उसके बाद 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में इस्तेमाल करने के लिए जो आरडीएक्स विदेशों से भारतीय तट पर उतारा गया उसमें क्या सिर्फ मुसलमान ही शामिल थे?

सवाल ये पैदा होता है कि देश में होने वाली किसी भी आतंकवादी घटना के लिए क्या पूरे समाज और धर्म विशेष को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाई जानी चाहिए? पिछले 10–15 वर्षो में ये बात खुलकर सामने आई है कि देश की खुफिया व्यवस्था किसी बड़ी

आतंकवादी घटना को रोकने में विफल रही है और खुफिया तंत्र को और मजबूत तथा आधुनिक तकनीक से लैस होने की जरूरत है। साथ ही देश विरोधी और आतंकवादी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम है लेकिन सिर्फ निंदा करने भर से काम नहीं चलने वाला जरूरत इस बात की भी है कि उन कारणों का पता लगाया जाए जिसकी वजह से लोग आतंकवाद की ओर अग्रसर होने के लिए मजबूर होते हैं।

जहां तक भारतीय मुसलमानों के राजनीति में उपयोग होने का सवाल है तो यह तर्क पूरी तरह बेमानी है। हैदराबाद और केरल के दो लोकसभा क्षेत्रों पोन्नानी और मंजेरी को छोड़कर देश का कोई लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मुस्लिम मतदाताओं ने केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दिए हों या विजयी बनाया हो और इनमें से मंजेरी संसदीय क्षेत्र से तो इस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य सांसद है। देश के बाकी हिस्सों में मुस्लिम मतदाता उसी तरह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों को वोट देता आया है जिस तरह दूसरे किसी धर्म या समुदाय के मतदाता मतदान करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक जैसी कोई चीज नहीं है।

यह सर्वविदित है कि 1947 के बाद से देश के मुसलमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं और उसको सुधारने के लिए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्थक पहल नहीं की गई। अगर ऐसा हुआ होता तो ये सवाल नहीं उठाया जाता कि भारतीय मुसलमान देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं।

जब–जब उन्हें अवसर मिला है मुसलमानों ने यह करके दिखाया है कि किसी भी क्षेत्र में वे दूसरे नागरिकों के मुकाबले पीछे नहीं हैं लेकिन जब उनमें शिक्षा ही नहीं होगी और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से संपन्न नहीं होंगे तो वे अपना हुनर कहां दिखाएंगे। केरल में सौ प्रतिशत साक्षरता है और इसका पूरा लाभ वहां के मुसलमानों ने ही उठाया है। शिक्षित होने के कारण ही आज वहां ये स्थिति है कि लगभग 10 परिवारों में से एक परिवार का कोई न कोई सदस्य विदेश खासकर खाड़ी के देशों में काम कर रहा है और विदेशी मुद्रा कमाकर अपने देश में भेज रहा है। छोटा सा राज्य होने के बावजूद वहां तीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और जहां से प्रति सप्ताह सैकड़ों वायु सेवाएं उतरती या उड़ान भरती हैं।

राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करने में भी भारतीय मुसलमान कभी पीछे नही रहा। चाहे 1948 के युद्ध में कश्मीर में बिग्रेडियर उस्मान का बलिदान हो या 1965 के भारत–पाक युद्ध में वीर अब्दुल हमीद का और करगिल में शहीद हुए लोगों की सूची में मुसलमानों के नाम कुछ कम नहीं हैं लेकिन जब सेना में उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो बहुत बावेला किया जाता है।

दरअसल जरूरत संकीर्ण मानसिकता को बदले जाने की है। अगर आप केवल भारतीय मुसलमान से राष्ट्रभक्ति की उम्मीद करते हैं और बाकी दूसरों से नहीं तो इस तरह के तर्कों से देश नहीं बना करते। लगभग 20 वर्ष पहले राजधानी दिल्ली से मात्र

साठ किलोमीटर की दूरी पर मलियाना और हाशिमपुरा में सौ से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को पुलिस और पीएसी गोली मारने के बाद या तो जला देती है या गंग नहर में बहा देती है और आज तक दोषियों को सजा मिलना तो दूर एक दिन के लिए गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। चार वर्ष पूर्व दिन के उजाले में और मीडिया के सामने एक हजार से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया जाता है जिनमें भारतीय संसद का एक पूर्व सांसद भी शामिल था लेकिन दोषियों को आजतक कोई सजा मिलना तो दूर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद मुकदमें तक दर्ज नहीं हो सके हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? और इसके बाद भी मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया जाता है।

''तेग मुंसिफ हो जहां, दारो–रसन हो शाहिद,

बेगुनाह कौन है इस शहर में कातिल के सिवा।''

कुरबान अली

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और दूरदर्शन न्यूज के सलाहकार हैं)